खनिज

09

खनिज

खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020–21 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 18,80,393 लाख रू. अनुमानित।
- खनिजों से राजस्व आय 2018–19 में 6,110.25 करोड़, 2019–20 में 6,195.73 करोड़ है।
- वर्ष 2018–19 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान 15.11 प्रतिशत है।
- छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य खनिज से 4,524.04 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 194.80 करोड़ आय हुई है।
- कुल राजस्व आय में 96 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 4 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं लाभार्जन किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल 19 से फरवरी 2020) में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा 21%, लौह अयस्क 14.08%, चूनापत्थर 11.98%, बॉक्साइट 7.10% तथा टिन अयस्क उत्पादन में 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रशंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.1 राजस्व आय **(करोड़)**

वर्ष	खनिज राजस्व
2014–15	3572.68
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47
2017–18	4911.41
2018–19	6110.25
2019–20	6195.73

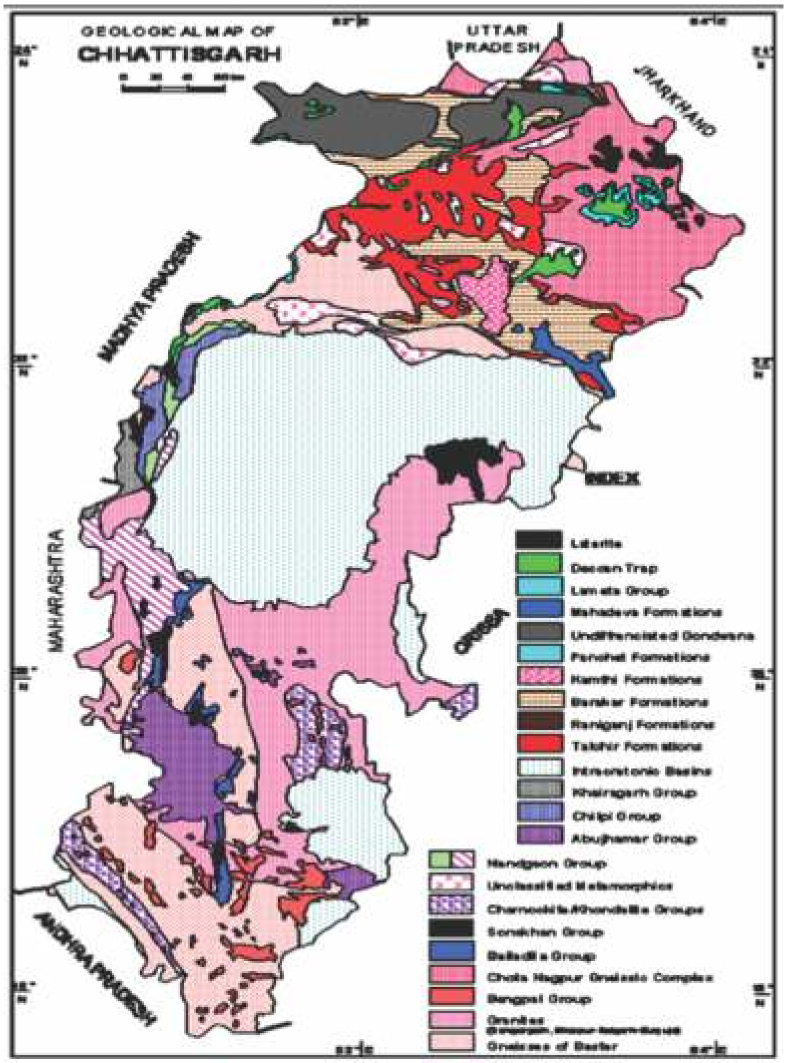

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)							
सांख्यिकी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
भागीदारी (लाख)	2109607	2008586	2200011	2349865	2536997	2487282	1880393
वृद्धि (प्रतिशत)	1.80	-4.79	9.53	6.81	7.96	-1.96	-24.40
हिस्सा (प्रतिशत)	12.04	11.15	11.30	11.74	11.62	10.86	8.34

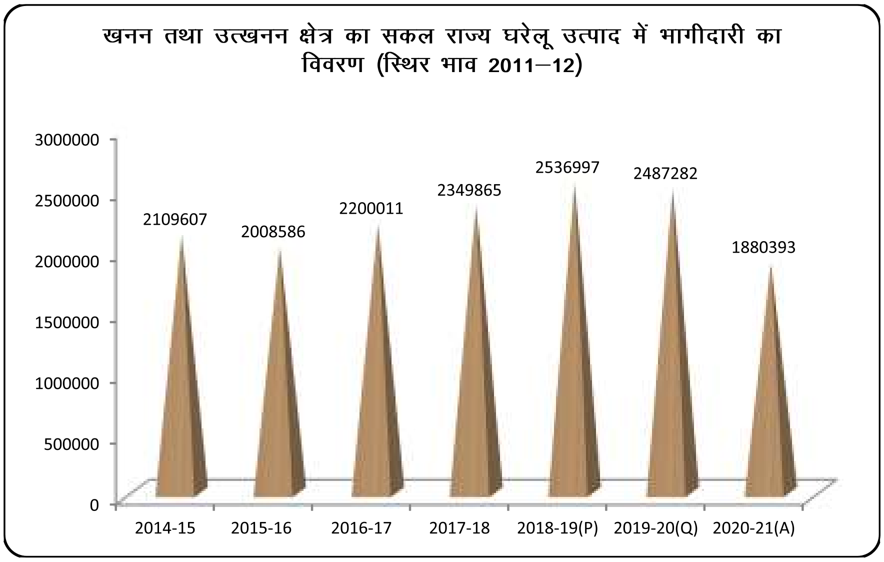

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2019–20 (अप्रैल से फरवरी 20)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	133454	–	633246	–	21.04	–
लौह अयस्क (000 टन)	13343	896444.14	222594	4368223.26	14.08	19.90
चूना पत्थर (000 टन)	39842	89359.47	332468	768301.35	11.98	11.63
बॉक्साइट (000 टन)	1436969	14208.51	20233948	146137.15	7.10	9.72
टिन (कि.ग्रा.)	14986	925.5	14986	925.5	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज	12465	35.73	17040989	6804873.61	0.07	0.00
	योग	10009.73		120884.61		8.28
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012—13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013—14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016—17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा, वर्ष 2017—18 में यह 15.66 प्रतिशत है एवं वर्ष 2018—19 में यह 15. 11 प्रतिशत रहा। इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012—13	18401	233321	7.9
2013—14	19566	225660	8.7
2014—15	19416	236554	8.2
2015—16	19213	234171	8.2
2016—17	22743	237730	9.6
2017—18	9184	58638	15.66
2018—19	11076	73257	15.11

स्त्रोत—भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशनं

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः—वित्तीय वर्ष 2019—20 में 284 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 2,218 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 5,515 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 35,057 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

तालिका 9.5 वर्ष 2019—20 एवं 2020—21में विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2019—20		2020—21 (सितं—20)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉं	लक्ष्य	उपलब्धियॉं
1	सर्वेक्षण /मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	250	284.29	287	--
2	ड्रिलिंग	मीटर	2350	2217.95	4290	--
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	40000	35057	40000	1822

9.5 खनिज उत्पादनः—

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क एवं डोलोमाईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। मुख्य खनिज का उत्पादन विगत वर्षों का तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	14—15	15—16	16—17	17—18	18—19	19-20 *
कोयला	134800	130605	139722	142514	161893	157409
लौह अयस्क	29388	26718	31068	34856	34945	34820
चूना पत्थर	23588	27667	31919	35154	42411	42415
बॉक्साईट	1561	1991	1954	1901	1532	1492
टिन (कि.ग्रा.)	24685	13541	12120	16757	21211	14986

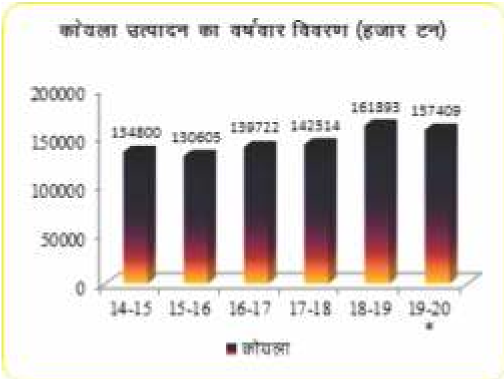

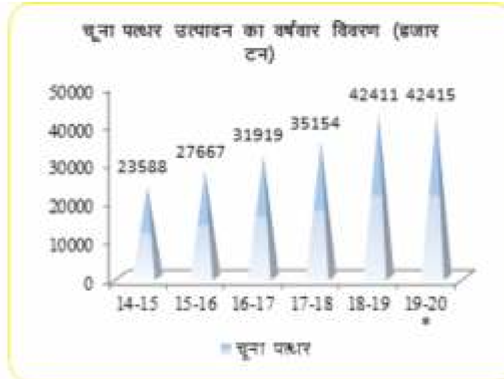

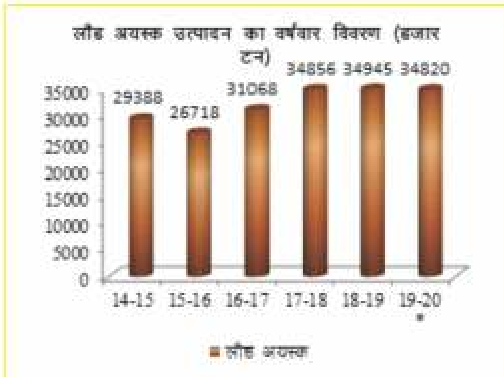

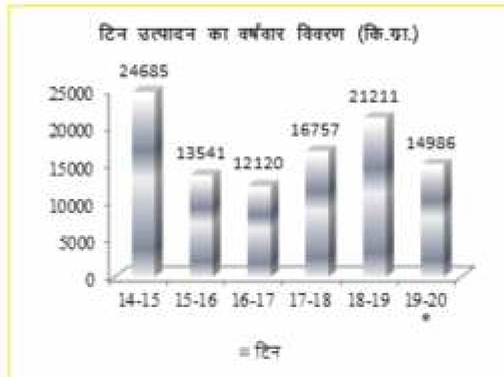

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः— वर्ष 2019—20 में राज्य में रू. 71,302.70 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रू. में)

खनिज का प्रकार	2016—17 उत्पादन		2017—18 उत्पादन		2018—19 उत्पादन		2019—20 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	3754172	13139.62	4339209	15187.24	4301776	13765.68	3066816	9813.81
मिट्टी	767648	1381.78	780588	1405.06	1710734	3763.61	1066559	3089.91
मुरूम	5143334	9258.00	7134384	12841.89	5509403	12120.69	4598737	10117.22
फर्शीपत्थर	301822	603.64	175504	351.01	214757	633.53	168757	497.83
ग्रेनाइट (घ.मी.)	1279	31.92	1609	40.18	888	26.61	1051	31.52
चूना पत्थर	9722328	34028.17	11813753	27171.63	11050829	42545.68	8252930	31773.79
डोलोमाईट	2739546	10273.30	3120026	11700.10	4383177	17313.55	3738411	14766.72
क्वार्टज					52167	224.31	49067	210.99
क्वार्टजाइट					30429	311.89	97650	1000.91

9.6 राजस्व आय :— छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2019—20 में मुख्य खनिज से 4,524.04 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 194.80 करोड़ आय हुई है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क्र. 9.8 पर दर्शित है:—

तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (लाख रू. में)					
मुख्य खनिज	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कोयला	186709.23	195654.85	236289.79	271350.59	233653.11
चूनापत्थर	21742.33	25237.90	31307.81	34433.27	32897.10
लौह अयस्क	82276.92	82994.13	129085.81	183769.52	182849.59
बाक्साइट	3344.70	3284.49	4717.27	2948.71	2686.93
मोल्डिंग सैण्ड	7.18	8.36	3.29	3.05	10.15
टिन अयस्क	5.24	7.81	15.83	13.82	1.74
वेनेलेडियम	400.00	0	0	0	1.04
विविध आय	0.30	1.28	0	76.13	304.00
योग	**294485.90**	**307188.82**	**401419.80**	**492595.09**	**452403.66**
वृद्धि		4.31	30.68	22.71	-8.16
गौण खनिज					
चूनापत्थर	10611.67	7777.86	9451.00	8840.66	6602.34
डोलोमाइट	2421.14	2054.66	2340.02	3944.86	3364.57
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	74.99	49.96	71.63	89.55	180.87
पत्थर	3780.66	2513.42	2905.10	3635.00	2591.46
फायर क्ले	0.75	1.91	4.25	11.25	3.45
फर्शीपत्थर	315.04	202.07	117.50	167.51	131.63
मिट्टी	158.48	104.40	106.16	581.65	362.63
मुरूम	404.10	586.34	813.32	1570.18	1310.64
रेत	6.03	0.53	5.11	2.69	37.57
ग्रेनाइट	4.38	19.18	24.14	17.74	21.01
क्वार्टजाइट/सिलिका	0	0.51	0.11	19.27	0.60
सोपस्टोन	0	0.24	0.36	0	0.07
व्हाईट क्ले	0	0	0.20	0.66	1.19
चाईना क्ले	0	0	0.23	0	0
कोरण्डम	0	1.64	0.18	2.22	1.32
विविध आय	6530.23	5194.61	5549.38	11202.90	4870.60
योग	**24307.47**	**18507.33**	**21388.69**	**30086.14**	**19479.95**
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	0	0	0	452.05
अर्थदण्ड एवं राजसात से प्राप्तियां	1063.13	1144.11	1124.23	1522.03	61886.30
विविध प्राप्तियॉ	922.53	1004.50	927.11	949.27	3286.15
नीलामी से प्राप्त राशि					
मुख्य खनिज कोयला	50177.85	86302.52	65241.32	85109.68	81268.67
गौण खनिज	0	0	3.56	226.89	554.72
अन्य मुख्य खनिज (कोयला छोड़कर)	0	0	1036.66	534.44	241.10
कुल योग	**370956.88**	**414147.28**	**491141.37**	**611023.54**	**619572.60**
स्त्रोत – खनिज विभाग					

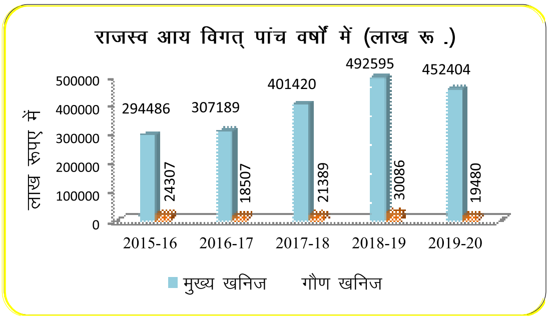

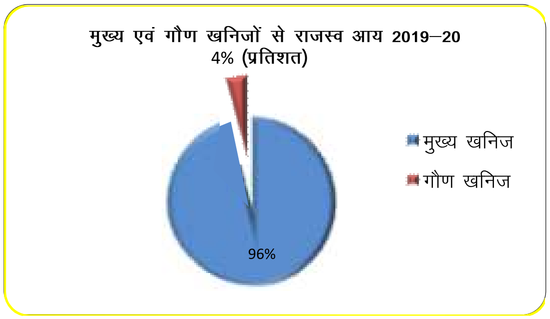

तालिका क. 9.10 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज

क्र0	जिले का नाम	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर, मोल्डिंग सेंड, क्वार्टजाइट
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज/सिलिका सेन्ड, रनर मोल्डिंग सेंड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	कोयला, बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर, क्ले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते है।

9.7 मुख्य एवं गौण ब्लॉक्स की ई–नीलामी:–नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत् मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनिपट्टा/ कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2015 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक 06 चूनापत्थर ब्लॉक खनिपट्टा हेतु एवं 01 गोल्ड ब्लॉक कम्पोजिट लायसेन्स हेतु ऑक्शन किये गये है। ई–नीलामी के माध्यम से 04 बाक्साईट एवं 002 चूनापत्थर के ब्लॉक्स का वर्ष 2020–21 में ई–ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन :–विभाग द्वारा वर्तमान में खनिज ऑनलाईन योजना में मुख्य खनिजों के खनिपट्टों हेतु बारकोड युक्त ई–ट्रांजिट पास, रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, आदि विभिन्न करों का सिंगल क्लिक भुगतान, ई–चेकपोस्ट एण्ड वेब्रिज, रियल टाईम असेसमेंट एवं डिमांड, खनिज वाहनों एवं एण्ड यूज प्लांट का ऑनलाईन पंजीयन के साथ–साथ ई–वालेट, ई–रिर्टन, ऑनलाईन आवेदन, जियॉलाजी एवं एचडीएस की व्यवस्था है।

वर्ष 2020–21 में स्टेज–II अंतर्गत गौण खनिज के खानों को भी खनिज ऑनलाईन पोर्टल में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें भी खानों की सुव्यवस्थित परिचालन हेतु ई–ट्रांजिट पास की व्यवस्था की जा रही है। प्रस्तावित खनिज ऑनलाईन 2.0 हेतु पोर्टल का क्लाउड होस्टिंग, इंटीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर हेतु एप्लिकेशन साफ्टवेयर, मोबाईल एप्लिकेशन, आदि मुख्य मॉड्यूल्स को विकसित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा इस हेतु रिक्व्येस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) निकट भविष्य में जारी किये जावेंगे। कम्प्यूराइजेशन की प्रस्तावित उक्त व्यवस्था से संबंधित जानकारियों का विभिन्न स्तरों पर प्रभावी, दक्षतापूर्ण एवं शीघ्र संप्रेषण सुलभ हो रहा है। प्रक्रिया के पारदर्शी होने से किसी के द्वारा अनुचित लाभ की संभावना भी क्षीण हुई है।

9.9 गौण खनिज उत्खनन पट्टा आबंटन:–छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 को जारी किया गया है। जिसके तहत् गौण खनिजों के निजी भूमि के मामलों में प्रीमियम राशि लिया जाकर सीधे आवेदक को ऑफ लाईन प्रक्रिया से सरल एवं सुगमता पूर्वक उत्खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत् माह नवम्बर 2020 तक की स्थिति में 57 प्रकरणों में उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आशय पत्र जारी किया जाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

9.10 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है। नवम्बर 2020 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में 6,063 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगतिः—प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में 6,290 करोड़ रूपये की 46 हजार से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 25 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है। 4,184 करोड़ रूपये व्यय हो चुके है।

9.10.1 प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य—

➢ **सुपोषण—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान**, कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु मध्यान्ह भोजन (खीर वितरण)/प्रोटीन युक्त आहार की व्यवस्था की जा रही है।

➢ **स्वास्थ्य**— विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही हैः— शिशु रोग, हडडी रोग, शल्य चिकित्सक, फारेंसिक, स्त्री रोग, निश्चेतना, मेडिसीन, गहन इकाई चिकित्सा अधिकारी। जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। स्वास्थ्य से संबंधित अधोसंरचना।

➢ **शिक्षा**— शिक्षकों की मानदेय की व्यवस्था। प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण। स्मार्ट क्लास। लैब एवं लाईब्रेरी का उन्नयन। इग्लिश स्कूल के संचालन में अंशदान।

➢ **कृषि**—

- जिलों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।
- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यों का सृजन।
- सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान।
- डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।

➢ **पेयजल**—

- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना।
- फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना कार्य।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।
- खनन प्रभावित 44 ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना एवं आवर्धन जल प्रदाय योजना।

- **उर्जा एवं जल विभाजक विकास**–सोलर पावर प्लांट/सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना।
- **वृद्धजन एवं निःशक्तजन**– मोटाराईजड ट्रायसायकल प्रदाय, ट्रायसायकल प्रदाय, श्रवण यंत्र(डिजिटल) प्रदाय, ई–ब्रेल स्मार्ट क्लास।
- **जीविकोपार्जन**– जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार के विभिन्न कार्य किया जा रहा है। जैसे– ई रिक्शा, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य। गोठानों में विभिन्न कार्य। जैसे– फेंसिग तैयार।
- जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज, जाल, प्रशिक्षण एवं परिपूरक आहार। मसाला उत्पादन इकाई स्थापना।

9.10.2 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदानः–

क	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी	155	48.00
2	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	116	22.00
3	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	05	0.51
4	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	02	0.25
5	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	09	3.00

9.11 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासनका एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

9.12 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.12.1कोल परियोजनाः– सी.एम.डी.सी. एवं एम.पी.एस.एम.सी. को संयुक्त रूप से दिनांक 07.11. 2013 को आबंटित केरवा कोल ब्लॉक के विकास एवं दोहन हेतु केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल) के नाम से दिनांक 28.01.2015 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। कोल ब्लॉक का आबंटन संयुक्त उपक्रम कम्पनी के नाम पर दिनांक 21.07.2016 को हुआ है। केरवा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेव्हलपमेंट एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सी.बी.डी.पी.ए.) का निष्पादन दिनांक 18.08.2017 एवं 04.01.2019 (First Amendment) को किया गया है। केरवा कोल लिमिटेड द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 09. 10.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे राज्य शासन द्वारा भारत सरकारको पूर्वानुमोदन हेतु दिनांक 12.10.2017 को अग्रेषित किया गया। केरवा कोल लिमिटेड पूर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.06.2020 को अनुबंध निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर दिनांक 01.07.2020 से अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आऊट सोर्सिंग के माध्यम से वर्तमान में लगभग 20,000 मीटर ड्रीलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

9.12.2 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. की मुख्यतः 05 लौह अयस्क परियोजनाएं क्रमशः बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–04, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–01, आरीडोंगरी लौह अयस्क तथा कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना है, जिसमें से बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निष्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.एल. (एन.सी.एल.) के माध्यम से एम.डी.ओ. का चयन किया गया है। वर्तमान में परियोजना बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

सी.एम.डी.सी. द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–01 रकबा 2,500 हेक्टर क्षेत्र पर पी. सी.एम.एल. आरक्षण हेतु संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के समक्ष दिनांक 19.08.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना के विकास एवं दोहन हेतु समस्त वैधानिक स्वीकृतियाँ पूर्ण की जा चुकी है एवं खदान के संचालन हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है। वर्तमान में खदान से लौह अयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1,83,840.00 मिट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन प्रस्तावित है। उत्पादित लौह अयस्क के विक्रय हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना हेतु सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण पूर्ण होने के उपरान्त खनिपट्टा आवेदन अग्रेषण की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।यह प्रकरण एम.एम.डी.आर. एक्ट यथा संशोधित 2015 की धारा–10 (ए)(2)(बी) के तहत् केन्द्र शासन के समक्ष विचाराधीन है।

9.12.3 खनिज बाक्साइट परियोजना :– सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा में 05 बाक्साइट खदान संचालित किया जा रहा है, जिससे उत्पादन एवं परिवहन का कार्य जारी है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जिला सरगुजा में अन्य 02 बाक्साईट खदान प्रारंभ होने की संभावना है। संचालित बाक्साईट खदानों का उत्पादन एवं परिवहन का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 9.11 खनिज बाक्साइट परियोजना

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015–16	130984.730	130984.730
2016–17	75157.540	75157.540
2017–18	556900.790	556900.790
2018–19	180133.900	180133.900
2019–20	102757.840	102757.840
2020–21 (अक्टूबर, 2020 तक)	13,898.000	13,898.000

9.12.4 कोरण्डम खनिज परियोजनाः— कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2020—21 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रूपये 5.00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.12.5 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजनाः— सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत है, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तरित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020—21 (माह नवम्बर 2020 तक) सहकारी समितियों के 215 सदस्यों को लगभग राशि रूपये 38,01,133,00/— का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का क्रय एक जन हितकारी योजना के तहत् किया जाता है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.12.6 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध मेंः— सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 में खनिज बाक्साइट भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 12,654 मीटर वेधन कार्य किया गया। खनिजों के गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 7,200 बाक्साइट खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला के माध्यम से करवाया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 में 01 बाक्साइट ब्लॉक का जियोलाजिकल रिपोर्ट तैयार किया गया है तथा शीघ्र ही 01 अन्य बाक्साइट ब्लॉक का जियोलाजिकल रिपोर्ट अपेक्षित है।

9.12.7 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.)ः— रावघाट जगदलपुर (रावघाट—कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडगांव—जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम. डी.सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05. 2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.12.8 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.)ः— छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन् तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेन्ट को विभिन्न क्रेताओं को उपलब्ध कराने/विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। संयुक्त उपक्रम कम्पनी के गठन उपरान्त जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 02 क्षेत्रों को जे.व्ही. कम्पनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है।